नगर विकास न्यास

भीलवाड़ा – 311 001

शहरी जमा बन्दी के आधार पर आवासीय / वाणीज्य प्रयोजनो के लिये भूमि का पट्टा विलेख (राजस्थान भू-राजस्व, 1956 की धारा 90 'ख' नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 60 (1)(4) के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित भूखण्डों के उपयोग हेतु।)

यह पट्टा विलेख आज दिनांक 16/10/02 को आवंटन / नियमन पत्र संख्या सन् 01/15-7-2002 के अनुसरण में राजस्थान के राज्यपाल की ओर से जिसे एतदपश्चात पट्टादाता सरकार प्रथम पक्ष कहा गया है एक और श्री/श्रीमती नोबल एज्यूकेशनल सोसायटी .... पुत्र/पत्नी/पुत्री .... जाती .... व्यवसाय .... निवासी भीलवाड़ा .... आवटी द्वितीय पक्ष कहा गया है को यह पट्टा अभिलेख इस बात की साक्ष्य के रूप में लिखा गया है। (जिनको इसमें इसके पश्चात पट्टेदार कहा गया है और इस इबारत में जहां कही प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रवन्ध प्रतिनिधि और मुन्तकील मुख्तियार भी सम्मिलित होगें।)

यह विलेख इस बात का साक्षी है की रूपये 74,667/- अक्षरे चोहत्तर हजार छः सौ सड़सठ मात्र की रकम जो नियमन शुल्क पट्टेदार द्वितीय पक्ष पर अदा कर दिया गया है। जिसकी प्राप्ती प्रथम पक्ष स्वीकार करता है और इसमे उल्लिखित शर्तो और करारो को दायदों को जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किया जाकर स्वीकार किया है प्रथम पक्ष एवंज में (सरकार) इसके द्वारा पट्टेदार को जमीन निर्मित भवन जिसका/स्थाई/अस्थाई भूखण्ड संख्या एस-01 का वह तमाम भाग जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर सम्बोधित किया गया है। नियमन पुनः/स्थानान्तरित कर आवंटित करती है जो 1017/1 .... व्यक्तिगत कृषि भूमि/ प्राइवेट कोलोनीईजर/ विकासकर्त्ता को विधियां संशोधन अधिनियम 1999 संख्या 3 सन् 1999 के प्रावंधान अनुसार का योजना सोफिया स्कूल के पास में स्थित है और जो अपनी सीमाओं और क्षैत्रफल के साथ इसके संलग्न परिशिष्ट में अधिक पूर्ण रूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इसके साथ सलंग्न नक्शे में दिखलाया गया है, और जिसे पूर्व स्वामित्व सम्बन्धिस्वत्वो अधिकारों सहित किन्तु निम्नलिखित निबन्धों अपवादों सरक्षणो, प्रतिबन्धो, वैद्य शर्तों और करारों के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

Secretary
NOBLE EDUCATIONAL SOCIETY
BHILWARA

Principal
Noble International School
Kuwada Road
Bhilwara (Raj.) 311001

गया है।

2 (अ) प्रथम पक्ष नगर विकास न्यास/ स्थानिय निकाय/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत स्थान पर प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में आरक्षित दर 450/- रूपये प्रतिवर्ग गज की दर से कुल राशि 16,800/- रूपये की 2.5 प्रतिशत की दर से अथवा 5 प्रतिशत दर से शहरी जमाबन्दी जमा करायेगा। निर्धारित तिथि तक जमा नहीं कराने की दशा में नियमानुसार देय ब्याज राशि वसूल की जावेगी। 31 मार्च से पूर्व अग्रिम शहरी जमाबन्दी जमा कराने पर 10 प्रतिशत की छुट भी देय होगी। बकाया लिज राशि की वसुली भू-राजस्व के रूप में वसूल करते हुए आवंटित/नियममित भूखण्ड/भवन कुर्क कर वसूल की जा सकेगी।

(ब) दस वर्ष की अग्रिम शहरी जमाबन्दी एकमुश्त जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र (ग्रिनकार्ड) प्रदत किया गया है जो राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-5(2) न.वि.वि./3/99 दिनांक 15.11.99 के अनुसरण से शहरी जमाबन्दी की राशी आरक्षित दर के स्थान पर केवल नियमन राशि 74,667/- रूपये पर 2.5 प्रतिशत अथवा 5.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वसूली गई है।

प्रत्येक वर्ष जमा कराने पर शहरी जमाबन्दी की निर्धारित धनराशि में 15 वर्ष व्यतीत होने के तुरन्त पश्चात अथवा प्रत्येक हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की उतरोत्तर वृद्धि की जा सकेगी / जावेगी।

उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल उस पर रहने / व्यवसायिक उपयोग जो अनुज्ञात किया गया है के अध्यधीन रहते हुए के आशय से किसी भवन या भवनों के बनाने में ही होगा। भूखण्ड का व्यवसायिक या लाभ कमाने की दृष्टि से उपयोग किसी भी भांति नही किया जा सकेगा। जब तक की अनुज्ञात नहीं किया गया हो। निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.7.99 क्रमांक प-5 (3) न.वि.वि./3/99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों मे प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियममित किया गया है तथा नियमन अयोग्य निर्माण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

न्यास/ नगर परिषद / पालिका / स्थानिय निकाय जिस के क्षैत्र में भूखण्ड / भवन स्थित है / पर निर्माण भवन के नक्शे की नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर कराना होगा।

भू-गर्भ से प्राप्त खनीज, कोयला, तेल, स्वर्ण, रजत, ताम आदि पाये जाने पर यह पट्टा निरस्त विधि अनुसार निरस्त किया जाकर भूखण्ड / भवन को अधिगृहित कर लिया जावेगा।

Secretary
NOBLE EDUCATIONAL SOCIETY
BHILWARA

Scanned by CamScanner

कस्बे का नाम / राजस्व ग्राम भीलवाड़ा खसरा नं 1011/1 राजस्व

भूखण्ड नं. एस-01 क्षेत्रफल 42×320=1493.33 भूखण्ड सं. एस-01

क्षेत्रफल 1493.33 योजना का नाम सोफिया स्कूल के पास स्थल मानचित्र संलग्न है।

पूर्व स्वयं की भूमि पश्चिम स्वयं की भूमि

उत्तर स्वयं की भूमि दक्षिण स्वयं की भूमि

प्रथमपक्ष
सचिव
नगर विकास न्यास भीलवाड़ा
राजस्थान के राज्यपाल की ओर से
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

वास्ते नोबल एज्यूकेशनल सोसायटी
[illegible]

द्वितीय पक्ष

{ नोबल एज्यूकेशनल सोसायटी }

नाम मय पता [illegible]
[illegible]
[illegible]

Principal
Noble International School
Kuwada Road
Bhilwara (Raj.) 311001

साक्षी :-

(1) नाम राजीव तखियार पता 17/87 वीर सावरकर चौक भीलवाड़ा (राज.)

पिता / पति का नाम श्री अमर जीत सिंह तखियार

व्यवसाय शिक्षक साक्षी के हस्ताक्षर राजीव तखियार

निवास स्थान भीलवाड़ा

(2) नाम महेन्द्र सिंह चौहान पता विवेकानन्द आश्रम के पास, किशनगढ़ जिला अजमेर (राज.)

पिता / पति का नाम स्व. श्री परमानन्द चौहान

व्यवसाय शिक्षक साक्षी के हस्ताक्षर [signature]

निवास स्थान किशनगढ़ (अजमेर)

Secretary
NOBLE EDUCATIONAL SOCIETY
BHILWARA

Scanned by CamScanner

सरकारी ऋणदाता संस्था / एच. डी. एफ. सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा बशर्ते कि इस हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया हो।

8. आवंटी द्वारा भूखण्ड / भवन विक्रय / मृत्यु की दशा में क्रेता / वारीशान द्वारा भूखण्ड का नामान्तरण स्थानिय निकाय / न्यास / राज्य सरकार से नियमों के अनुसार द्वितीय पक्ष को करवाना होगा जिसके लिए निर्धारित शुल्क देय होगा।

9. पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों को या उन दोनों के किसी भाग को किसी ऐसे आशय के लिये जो पिछले पद में निर्देशित आशय के असंगत है बिना न्यास / स्थानीय प्राधिकारी / सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति के, जो एतदर्थ नियुक्त किया गया हो, न तो उपयोग मे लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति ही देगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा आवंटन पत्र की शर्तों एवं पट्टे की शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी। यदि किसी भी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुए भवन, यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए बिना किसी मुआवजे राशि के निरस्त करते हुए अधिग्रहण कर लिया जावेगा।

11. आवंटी की मृत्यु पर 6 माह की अवधी में सूचना प्रेषित कर नामान्तरण वैध उत्तराधिकारीयान के नाम कराना आवश्यक होगा अन्यथा 250/- रूपया विलम्ब शुल्क वसूल कर नामान्तरण किया जावेगा।

12. नगर विकास न्यास / राज्य सरकार / स्थानिय निकाय द्वारा समय-समय पर जारी आदेश निर्देश इस प्रकार लागू होगे जिस प्रकार की पट्टान्तरित की दशा में लागू होने व द्वितिय पक्ष इसे अंगीकार करने के लिए बाध्य होगा।

यह विलेख राज्य सरकार के आदेश क्रमांक / प-5 (3) न.वि.वि./3/99 दिनांक 10.7.99 के बिन्दु संख्या 4 के अनुशरण में भूखण्ड की नियमन राशि 74,667/- पर लिखा जाकर गवर्नमेन्ट ग्रान्टस एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी कर पंजीकृत मूल्य राशि के स्टाम्प पत्र पर लिखा जाकर राजस्थान के राज्यपाल की ओर से बहैसियत पट्टादाता हस्ताक्षरित एवं मुद्राकित कर जारी किया गया। जिसे द्वितिय पक्ष ने साक्ष्यों के समक्ष स्वीकार किया जाकर हस्ताक्षर किये।

Secretary
NOBLE EDUCATIONAL SOCIETY
BHILWARA

का नाम / राजस्व ग्राम ...... ग्रोलकाहा ...... खसरा नं ...... 1011/1 ...... राजस्व

नं. ...... एस-01 ...... क्षेत्रफल ...... 429320=1493.33 ...... भूखण्ड सं. एस-01

1493.33 ...... योजना का नाम सोनिया स्कूल के पास ...... स्थल मानचित्र संलग्न है।

...... स्वयं की भूमि ...... पश्चिम ...... स्वयं की भूमि

...... स्वयं की भूमि ...... दक्षिण ...... स्वयं की भूमि

प्रथमपक्ष

सचिव

नगर विकास न्यास भीलवाड़ा

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

वास्ते

पक्ष

{ नोबल एज्यूकेशनल सोसायटी }

य पता

नाम राजीव तड़ियार ...... पता 17/83 वीर सावरकर चौक भीलवाड़ा (राज.)

पिता / पति का नाम श्री अमर जीत सिंह तड़ियार

व्यवसाय व्यापार ...... साक्षी के हस्ताक्षर राजीव तड़ियार

निवास स्थान भीलवाड़ा

Secretary
NOBLE EDUCATIONAL SOCIETY
BHILWARA

नाम भूपेन्द्र सिंह चौहान ...... पता विवेकानन्द आश्रम के पास, किशनगढ़ जिला अजमेर (राज.)

पिता / पति का नाम स्व. श्री परमानन्द चौहान

व्यवसाय शिक्षक ...... साक्षी के हस्ताक्षर

निवास स्थान किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

1000Rs.

यह स्टाम्प क्र. सं. [illegible] रुपये [illegible]

न्यास की [illegible] योजना के

आवासीय/व्यवसायिक भूखण्ड संख्या [illegible]

के पट्टाविलेख के साथ संलग्न है।

सचिव

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा.

Principal
Noble International School
Kuwada Road
Bhilwara (Raj.) 311001

राजीव त्रिवेदी

Secretary
NOBLE EDUCATIONAL SOCIETY
BHILWARA

Scanned by CamScanner

1082/2002

4547

सायेय नगर ... जिला भीलवाड़ा

सीलवाड़ा

71/54 दिनांक 13/10/02

संख्या 1085

न शुल्क 100

9910

1

11095

उप पंजीयक

भीलवाड़ा (राज.)

18 माह 10 सन् 2002

नन्द किशोर

दा3, लाल

साझ 42

सर्विस

M/C कलेक्टर ... भीलवाड़ा

भीलवाड़ा (राज.)

नन्द किशोर

NOBLE ... SOCIETY BHILWARA

Scanned by CamScanner

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (राज.)

:- संस्थानिक प्रयोजनार्थ -:

दिनांक 15/7/2012

पत्रांक/नि.शा./01

भवन/भूमि/नियमन/आवंटन पत्र

गैर योजना क्षैत्र

(गोपालपुरा स्कूल केपा का क्षैत्र/नगर/कॉलोनी)

श्री/श्रीमती 1111 नोबल एज्यूकेशनल सोसायटी पुत्र/पुत्री/पत्नि/श्री .... जाति .... निवासी भीलवाड़ा .... भीलवाड़ा ने राजस्व ग्राम 1011/1 भीलवाड़ा के आराजी नं. 1011/1 में एक बीघा आकार का भूखण्ड समर्पित कर नियमन हेतु आवेदन किया है। यह भूखण्ड गोपालपुरा स्कूल केपा का क्षैत्र/नगर/कोलोनी में स्थित है। उक्त भूमि मे से भूखण्ड संख्या एस-01 आकार 42 X 320 = 1493.33 वर्ग गज का निम्न शर्तो पर नगरीय क्षैत्रो मे भूमि निष्पादन नियमो के अर्न्तगत आवंटन/नियमन किया जाता है। जिसकी राशी रू 74,667/- जमा करवाली गयी है।

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के परिपत्र क्रमांक पं-3(28) न वि वि/3/96 जयपुर दिनांक 22/12/99 के अनुसरण में उक्त भूखण्ड/भवन का नियमन/आवंटन निम्न शर्तो पर जारी किया जाता है :-

1. यह है कि सम्बन्धित आराजी के खातेदार/अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं क्लेम करने पर इसका उत्तरदायित्व आवंटि का होगा तथा इससे यदि नगर विकास न्यास भीलवाड़ा को कोई क्षति हुई तो न्यास को आवंटि से क्षति पूर्ति राशि वसूल करने का हक होगा।
2. शहरी जमाबंदी (लीज राशि) योजना/क्षेत्र की आरक्षित दर रु. 450/- ..../- प्रतिवर्ग गज के हिसाब से रु. 16,800/- ..../- प्रति वर्ष देय होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उक्त भूखण्ड की दस वर्षीय लीज एक मुश्त जमा करवाने पर लीज राशि की गणना नियमन दर पर की जावेगी।-
3. प्रत्येक 15 वर्ष के बाद लीज राशि 25 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकेगी एवं प्रत्येक हस्तांतरण पर भी 25 प्रतिशत लीज बढ़ाई जावेगी।
4. उक्त भूखण्ड/भवन का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. नियमन किये गये प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये इस भू-भाग/निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जावेगा, ऐसा करने से पर न्यास को, किये गये नियमन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. आवंटि की ओर से कोई तथ्य/दस्तावेज गलत पाया गया तो आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा एवं भूखण्ड निर्मित संरचनाओं सहित न्यास के हक में बिना मुआवजा दिये जब्त किया जा सकेगा तथा नियमन राशि नहीं लौटाई जावेगी। नियमन पत्रधारी कोई भी उज्र करने का अधिकारी नहीं होगा और न ही किसी प्रकार का उज्र मान्य होगा।
7. आवंटन/नियमन पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को होगा।
8. भविष्य में उक्त भूखण्ड/भवन पर कोई भी निर्माण न्यास की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।
9. राज्य-सरकार/नगर सुधार न्यास/ स्थानीय निकाय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/आदेश/परिपत्र मानने के लिये आवंटि बाध्य होगा व उसे इसकी पालना करनी होगी।
10. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य 5 वर्ष में पूर्ण करना होगा अन्यथा नियमन राशी की 5% राशि प्रतिवर्ष शास्ति के रूप मे देय होगी।

Principal
Noble International School
Kuwada Road
Bhilwara (Raj.) 311001

Secretary
NOBLE EDUCATIONAL SOCIETY
BHILWARA

Scanned by CamScanner

कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

साईट प्लान

योजना/गैर योजना क्षैत्र ओड़िया स्कूल के पास क्षेत्र भूखण्ड संख्या S-1

भूखण्डधारी श्री/श्रीमती नोबल एजु. सोसायटी आकार 320' X 42' = 13440.00 वर्गफीट

पिता/पति श्री भीलवाड़ा = 1493.33 वर्गगज

दिशा	सैट बैक	पड़ोस
पूर्व		स्वयं की भूमि
पश्चिम		स्वयं की भूमि
उत्तर		स्वयं की भूमि
दक्षिण		स्वयं की भूमि

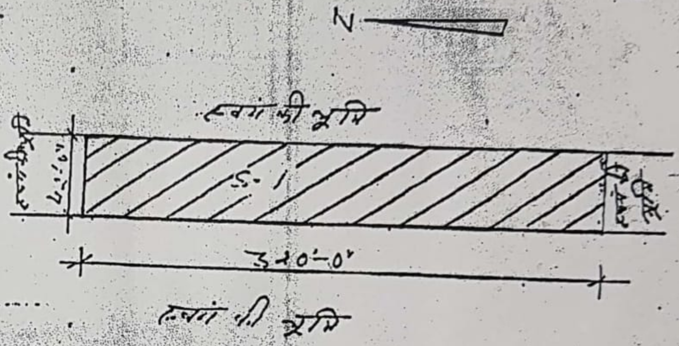

पैमाना 1" = 100'-0"

भूखण्ड का कुल क्षैत्रफल - 1493.33 वर्गगज

निर्मित योग्य क्षैत्रफल पैमाना %

निर्मित भवन

Principal
Noble International School
Kuwada Road
Bhilwara (Raj.) 311001

Secretary
NOBLE EDUCATIONAL SOCIETY
BHILWARA

व० प्रारुपकार

भवन निरीक्षक/कनिष्ठ अभियंता

उप नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भीलवाड़ा

सचिव
नगर विकास न्यास
भीलवाड़ा

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु. | Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

[illegible] क्र. 45[illegible] आवंटन 100[illegible]/-

[illegible] की [illegible] योजना के

[illegible]/व्यावसायिक भूखण्ड संख्या.... 01-[illegible]

[illegible] के साथ संलग्न है।

सचिव

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

[illegible]

Principal
Noble International School
Kuwada Road
Bhilwara (Raj.) 311001

राजीव [illegible]

[illegible]

Secretary
NOBLE EDUCATIONAL SOCIETY
BHILWARA

Scanned by CamScanner

मोबाइल (कम्प्यूटेक) स्कोलरशिप आधिकारी

परिश्रे अध्यक्ष
शैलेन्द्र किशोर माथुर

पता

① श्री सजीवन
25
सातिर

दलपत
राठौड़
मालवासी

② श्री गोपीलाल
66
पेशान

दलपत
राठौड़
C/o मोतीलाल कृषि मालवासी
ग्राम
द्वारा जे.को. भीलवाड़ा

Sanjeev Rathore

आज दिनांक 15 माह 12 सन 2005
पुस्तक I
पृष्ठ 154 ... 56.20
पर सं. 4254
जिल्द 1529
पृष्ठ संख्या 3 ... 33 ... 8 ...
किया गया

Sec...
NOBLE EDUC...
BHIL...

Scanned by CamScanner